been introduced. The agreement is effective from 1st April, 1966 and arrears will be payable to the workers. The agreement is to remain in force for 3 years.

(c) In respect of the Barauni refinery, a similar agreement with the employees is likely to be concluded soon.

Cell for Scrutiny of Construction of Government Buildings

3348. **Shri Y. A. Prasad:**
Shri B. N. Shastri:
Shri Ebrahim Sulaiman Sait:
Shri Bedabrata Barua:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Cell is being created by his Ministry to scrutinize the construction of Government buildings before payment is made to the contractor;

(b) if so, the reasons for the creation of this Cell when the Chief Technical Examiner is already acting for the Ministry; and

(c) in what way the Chief Technical Examiner is found ineffective?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

भारत में क्षय रोग की चिकित्सा के अस्पताल

3349. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग की चिकित्सा के अस्पतालों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें कितनी-कितनी रोगी शय्याएं हैं;

(ग) क्या रोगी शय्याओं की संख्या क्षय रोगियों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार का क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) और (ख). उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT—755/67]

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में क्षय रोगियों के लिये पलंगों की संख्या बढ़ाई जा रही है ।

समाज कल्याण योजना

3350. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय कितनी समाज कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) वर्ष 1965–66 में तथा 1966-67 में प्रत्येक समाज कल्याण संस्था के लिए कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या सरकार धार्मिक संस्थाओं को भी कोई सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) समाज-कल्याण विभाग (समाज कल्याण डिवीजन) द्वारा सीधे क्रियान्वित की जाने वाली योजना सभा पटल पर रखे गये विवरण (अनुबन्ध 1) में दी गई हैं [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT—756/67] ।

(ख) यह सूचना विवरण के अनुबन्ध–2 में दी गई है ।

(ग) और (घ). पूर्णतया धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दिये नहीं जाते हैं ।